डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.nic.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 60 ● अंक 12 ● भोपाल ● 16-30 नवम्बर, 2016 ● पृष्ठ 20 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

सहकारी गीत

सहकारी सतरंगा प्यारा,
झण्डा ऊँचा रहे हमारा।
संघ शक्ति प्रगटाने वाला,
शांति सुधा बरसाने वाला।
सम्पत्ति सुमति बढ़ाने वाला,
जन-गण तंत्र सुमंत्र हमारा।
झण्डा ऊँचा रहे हमारा,
सहकारी सतरंगा प्यारा।
हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
जैन, बौद्ध प्रिय एक ही भाई।
सहयोगीबन, करें भलाई,
भेद दुराग्रह विष तज सारा।
झण्डा ऊँचा रहे हमारा,
सहकारी सतरंगा प्यारा।
इस झण्डे के नीचे निर्भय,
आए कृषक सभी सब निश्चय।
कर्मयोग की बोले जय जय,
सुख समृद्धि है ध्येय हमारा।
झण्डा ऊँचा रहे हमारा,
सहकारी सतरंगा प्यारा।

प्रदेश में सहकारिता : प्रगति बेमिसाल

प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से जनमानस के कल्याण और उसकी खुशहाली और समृद्धि के लिये आरंभ किये गये प्रयास आज नई उंचाइयों की ओर अग्रसर हैं। कृषि ऋण एवं आदान, ग्रामीण एवं नगरीय बैंकिंग, दुग्ध, विपणन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आवास, उपभोक्ता, व्यावसायिक, मत्स्य, उपार्जन, भण्डारण, प्रौद्योगिकी, चीनी उत्पादन के माध्यम से सदस्यों एवं नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश में 39,000 सहकारी संस्थाओं के विशाल नेटवर्क ने सदस्यों में सहकारिता की भावना को फलीभूत कर 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया' के दर्शन को चरितार्थ किया है।

कृषि साख सहकारिता

प्रदेश में शीर्ष सहकारी बैंक, (अपेक्स बैंक) के साथ 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकें एवं 4522 प्राथमिक कृषि साख समितियॉं संचालित हैं। प्रदेश में 69 लाख किसान सहकारिता के सदस्य हैं।

अल्पकालीन फसल ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित

खरीफ 2015 में 10.43 लाख किसानों के कुल 5000 करोड़ के अल्पकालीन फसल ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन अपेक्स बैंक की स्थापना के बाद अब तक एक वर्ष में ऋण परिवर्तन की सर्वाधिक राशि।

शून्य प्रतिशत दर पर फसल ऋण

वर्ष 2003–04 में किसानों से फसल ऋण पर 16 प्रतिशत तक का ब्याज प्रभारित, वर्ष 2012–13 से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाला देश में प्रथम राज्य।

मुख्यमंत्री सहकारी कृषक ऋण सहायता योजना

''मुख्यमंत्री सहकारी कृषक ऋण सहायता योजना''रबी 2015–16 से लागू है जिसके तहत किसानों द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से लिये जाने वाले अल्पकालीन वस्तु ऋण पर 10 प्रतिशत सहायता अर्थात् 100 रूपये के वस्तु ऋण पर 90 रूपये की अदायगी योजना के अंतर्गत प्रत्येक कृषक को प्रतिवर्ष अधिकतम रूपये दस हजार की आर्थिक सहायता प्रदाय।

फसल ऋण वितरण में आशातीत प्रगति

वर्ष 2003–04 में किसानों को सहकारी बैंकों से कुल 1273 करोड़ का फसल ऋण उपलब्ध। वर्ष 2015–16 में सहकारी सोसायटियों के माध्यम से किसानों को 13588.44करोड़ का फसल ऋण वितरण। वर्ष 2016–17 में कुल 21600 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित।

किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष 2003–04 में प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से 19 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी। वर्ष 15–16 में लगभग 52.63 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित। प्रदेश में अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में सहकारिता क्षेत्र से सर्वाधिक किसान क्रेडिट कार्ड वितरित।

ऋणपरामर्श केन्द्र

किसानें को ऋण से संबंधित सभी प्रक्रिया एवं पात्रता की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश की 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की 685 कृषि ऋण शाखाओं में से 654 शाखाओं में ऋण परामर्श केन्द्र का संचालन।

सामान्य सुविधा केन्द्र

प्रदेश के 6 जिले क्रमशः छतरपुर, दमोह, दतिया, सागर, पन्ना एवं टीकमगढ़ में प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए 39 सामान्यसुविधा केन्द्र निर्माणाधीन। प्रत्येक सामान्य सुविधा केन्द्र में 2000–3000 मे.टन क्षमता के गोदाम, विपणन दुकान, सूचना एवं सायबर कैफे, बीज प्रसंस्करण इकाई, भारी वाहन वर्कशाप, जलपान गृह, किसान आराम गृह, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, एग्री क्लीनीक, कृषि कार्यशाला एवं डिस्प्ले सेंटर तथा बचत बैंक आदि के लिये अधोसंरचना निर्मित।

शेष पेज 2 पर

सहकारिता के सात रंग

1.	लाल	आर्थिक स्वाधीनता
2.	केसरिया	सामाजिक स्वाधीनता
3.	पीला	नैतिक स्वाधीनता
4.	हरा	राजनैतिक स्वाधीनता
5.	नीला	कृषि स्वाधीनता
6.	आसमानी	उद्योग स्वाधीनता
7.	जामुनी	कला/शिक्षा स्वाधीनता

इन्द्र-धनुष, विश्व साहित्य में आशा विश्वास और उत्साह के स्त्रोत के रूप में वर्णित है। मानव समाज ने इसे आशा के प्रतीक रूप में ग्रहण किया है तथा इसके विभिन्न रंगों के सम्मिश्रण ने उसमें सुसम्बद्धता के भाव को जागृत किया है।

सहकारिता आंदोलन के लक्ष्य एवं आदर्श को सही मायने में प्रतीकात्मकता प्रदान करने इन्द्र-धनुषी सप्त रंगों की अपेक्षा और कौन सा साधन सफल हो सकता है क्यों सात रंग इन्द्र-धनुषी समता, एकरूपता के रूप में सहकारिता के अंदर निराशा में आशा, सामंजस्य और विभिन्नता में एकता तथा पूर्ण शांति अलग रंगों के सौजन्य से निर्मित होकर भी एकरूप हो जाता है जो विविधता से एकजुटता का प्रतीक है। उसी प्रकार सहकारिता ने भी सब प्रकार के जाति, वर्ग, रंग आदि भेदभावों से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने के लिये इन्द्रधनुष के रंगों के समान ही सतरंगे झण्डे को अपनाया है। सहकारिता ध्वज के सात रंग भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की स्वाधीनता के प्रतीक है प्रत्येक रंग अपने में क्षेत्र विशेष की स्वाधीनता प्रकट करता है। सहकारिता जीवन की सब समस्याओं का हल करने का एक उत्तम और सर्वांगीण साधन है। इस कारण इक्कीसवी सदी में पहुंचने के लिये अधिकांश क्षेत्र ने सहकारिता की डगर को चुना है और सहकारिता हर कदम उन्नति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

सहकारी सप्ताह की शुभकामनाएँ.....

63वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह

मुख्य विषय : सहकारिता के माध्यम से सतत विकास एवं संमृद्धि

14.11.2016	शिक्षा एवं प्रशिक्षण के जरिये से सहकारिता का सशक्तीकरण
15.11.2016	सहकारिता के माध्यम से कौशल उन्नयन एवं उद्यमिता विकास
16.11.2016	सहकारिता के माध्यम से वित्तीय समावेशन
17.11.2016	सहकारिता के माध्यम से प्रमुख शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
18.11.2016	सहकारिता में तकनीकी को अपनाना
19.11.2016	सहकारिता के माध्यम से युवाओं कमजोर वर्ग की महिलाओं का सशक्तीकरण
20.11.2016	सहकारिता के माध्यम से सुशासन, मूल्यों एवं नेतृत्व का विकास

वित्तीय पत्रक

1. माँ शारदा महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या. मैहर 5 से 6
2. श्री बालाजी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सतना 7 से 9
3. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., होशंगाबाद 10 से 14
4. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., रतलाम 15 से 18

सहकारिता के सिद्धांत

1. स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता : सहकारी सोसायटी ऐसे व्यक्तियों के लिए मुक्त स्वैच्छिक संगठन है, जो उनकी सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ है और सदस्यता के उत्तरदायित्व को बिना किसी लिंग, सामाजिक, जातीय, राजनैतिक तथा धार्मिक भेदभाव के रजामंदी से स्वीकार करते है।
2. सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण : सहकारी सोसायटी अपने उन सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन है, जो उनकी नीतियों के निर्धारण और विनिश्चयों के संसाधारण में सक्रियता से भाग लेते हैं। प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित पुरूष तथा स्त्रियों सदस्यों के प्रति जवाबदार है। प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों को (एक सदस्य एक मत का) समान मताधिकार प्राप्त है तथा सहकारी सोसायटी अन्य स्तरों पर भी लोकतांत्रिक रीति से संगठित होती है।
3. सदस्यों की आर्थिक भागीदारी : सदस्य अपनी सहकारी सोसाइटियों की पूंजी में अभिदाय करते हैं तथा उसका लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रण करते हैं। उक्त पूंजी का कम से कम एक भाग सहकारी सोसायटी की सार्वजनिक सम्पत्ति होती है। सदस्य प्रायः सदस्यता की शर्त के रूप में अभिदत्त पूंजी पर सीमित प्रतिकार, यदि कोई हो, प्राप्त करते है। सदस्यगण किन्हीं प्रयोजनों के लिए अधिशेष आबंटित करते हैं।
   संभवतः आरक्षित स्थापित उनकी सहकारी सोसाइटी का विकास करने के लिए जिसका कुछ भाग अविभाज्य होगा, सदस्यों को सहकारी सोसाइटियों में उनके संव्यवहारों अनुपात में लाभ पहुंचना तथा सदस्यों द्वारा अनुमोदित अन्य क्रियाकलापों का समर्थन करना।
4. स्वायत्ता तथा स्वाधीनता : सहकारी सहकारी सोसाइटियों की स्वायत्ता बनाये रखने के लिए करते है। सोसाइटी अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वशासी आत्मनिर्भर संगठन है। यदि वे सरकार सहित दूसरे संगठनों से करार करते हैं, या बाह्य स्त्रोतों से पूंजी जुटाते हैं तो वे ऐसा अपने सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करने और अपनी सहकारी सोसाइटियों की स्वायत्ता बनाये रखने के लिए करते है।
5. शिक्षा प्रशिक्षण तथा जानकारी : सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है जिससे वे अपनी सहकारी सोसाइटियों के विकास में प्रभावी योगदान कर सके। वे जन सामान्य विशिष्टतः युवा वर्ग एवं नेतृत्व को सहकारिता की प्रवृत्ति तथा लाभ की जानकारी देवे।
6. सहकारी सोसाइटियों में सहयोग : सहकारी सोसाइटी स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के माध्यम से कार्य करते हुए अपने सदस्यों की प्रभावी सेवा करती है और सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ बनाती है।
7. समुदाय के लिए सरोकार : सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदायों के स्थिर विकास के लिए कार्य करती है।

सहकारिता के मूल्य

सहकारिता मूल्य आधारित सामाजिक-आर्थिक प्रणाली है।

1. स्व-सहायता
2. प्रजातंत्रीकरण
3. एकता
4. स्व-उत्तरदायित्व
5. समानता
6. सद्भावना

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

पृष्ठ 1 का शेष

प्रदेश में सहकारिता : प्रगति बेमिसाल

नगरीय साख सहकारिता

प्रदेश में 51 नागरिक सहकारी बैंकें संचालित जिनके पास वर्तमान में 2,000 करोड. की जमा अमानतें व 1,000 करोड़ का ऋण वितरण साथ ही नगरीय क्षेत्र में लगभग 2300 बचत एवं साख सोसायटियां कार्यरत।

बीज की उपलब्धता

बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रदेश में अब तक 2400 बीज समितियां गठित की गई हैं। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ संचालित। प्रदेश के शासकीय क्षेत्र में बीज उत्पादन में सहकारी समितियों का योगदान बढ़कर 75 प्रतिशत।

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना

सहकारी समितियों के अधोसंरचना व्यवसाय विकास तथा मानव संसाधन के लिये एकीकृत सहकारी विकास परियोजनायें संचालित प्रदेश के 30 राजस्व जिलों में 25 एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाये पूर्ण। वर्तमान में प्रदेश के 13 जिलों में से 12 में यह परियोजनायें क्रियान्वित।

विपणन –रासायनिक उर्वरकों का वितरण

कृषि उपजों के विपणन एवं कृषकों को आदान सामग्री प्रदाय करने के क्षेत्र में म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ की उल्लेखनीय भूमिका, वर्ष 2015–16 में सहकारी क्षेत्र के माध्यम से अभी तक 31 लाख मी. टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण वर्ष 2005–06 में विपणन संघ का टर्न ओवर 1008 करोड़, 2015–16 में 7035 करोड़, । प्रदेश में 254 विपणन सहकारी संस्थाएं संचालित।

भण्डारण क्षमता में वद्धि

सहकारी संस्थाओं के भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि। सहकारी संस्थाओं की समग्र भंडारण क्षमता लगभग 14. 55 लाख मे.टन।

समर्थन मूल्य पर उपार्जन

प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर वर्ष 2016–17 में 2990 ई–उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से रबी सीजन में 499341 कृषकों से 39.50 मीट्रिक टन राशि 5806 करोड़ का गेंहू एवं 12.65 लाख मी.टन धान का उपार्जन।

आवास संघ के व्यवसाय में वृद्धि

प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास हेतु राज्य आवास सहकारी संघ संचालित। वर्तमान टर्न ओवर 372 करोड़, लगभग 6,000गृह निर्माण समितियां संचालित। म.प्र.राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा माननीय सांसदो/विधायकों के लिए रचना नगर भोपाल में कृल 6.16 एकड़ भूमि पर बहुमंजिला आवासीय योजना अंतर्गत की कुल 135 करोड़ की लागत से 368 प्रकोष्ठों का निर्माण प्रस्तावित।

सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण

म.प्र.राज्य सहकारी संघ द्वारा मानव संसाधन एवं नेतृत्व विकास हेतु सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित। वर्ष 2015–16 में लक्ष्य 61700 प्रशिक्षणार्थियों के विरूद्ध 58184 को प्रशिक्षण प्रदाय। संघ द्वारा इन्दौर, जबलपुर, भोपाल, आगर तथा नौगांव में प्रशिक्षण केन्द्र संचालित। पी.जी.डी.सी.ए./डी. सी.ए./एच.डी.सी.एम. कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन।

चीनी उत्पादन

प्रदेश में कृषकों के द्वारा गन्ने के उत्पादन के उपयोग हेतु 3 चीनी मिलों क्रमशः नवल सिंह शक्कर कारखाना, बुरहानपुर, खरगौन सहकारी शक्कर कारखाना एवं नारायणपुरा शक्कर कारखाना, राघवगढ़, गुना संचालित। वर्ष 2015–16 में उत्पादन 736450 लाख क्विंटल। नवल सिंह शक्कर कारखाना राष्ट्रीय सम्मानों से पुरस्कृत।

राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ

प्रदेश में उपभोक्ता सहकारिता के विकास हेतु राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा 04 प्रियदर्शिनी सेवा केन्द्र संचालित। वर्ष 2005–06 में टर्न ऑवर 7.10 करोड़। वर्ष 2015–16 में 98.04 करोड़। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन हेतु 4000 प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार संचालित।

डेयरी विकास

सहकारिता क्षेत्र में डेयरी संचालन एवं विकास हेतु लगभग 6300 प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत। 2.30 लाख दुग्ध प्रदायक सदस्य 92000 महिला सदस्य। वर्तमान में 5 सहकारी दुग्ध संघों के माध्यम से 10 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध संकंलन तथा 8.3 लाख लीटर दुग्ध विक्रय। सांची ब्राण्ड के नाम से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय वर्ष 2015–16 में टर्न ओवर 264.61 करोड़ वर्ष 2015–16 में 98.04 करोड़ कुल वृद्धि 1380 प्रतिशत।

ई–फाईल ट्रेकिंग सिस्टम

म.प्र.का प्रथम विभाग जिसने ई–फाईल ट्रेकिंग सिस्टम दिनांक 16.09.2016 को लागू किया। इस ई–प्रबन्धन से फाइलों का शीघ्र निष्पादन एवं फाइलों की लंबित स्थिति के निराकरण हेतु अभिनव पहल।

सहकारी मंथन

बदलते परिवेश में सहकारी संस्थाओं की भूमिका और समस्याओं के निराकरण हेतु सहकारी मंथन 2016 का आयोजन। सहकारिता से संबंधित 09 विषयों पर कार्यदलों द्वारा विचार मंथन से उभरे प्रकाश–बिन्दुओं से बने रोड़ मेप से चहुंमुखी विकास को नया आधार मिलेगा।

सहकारिता में नवाचार

प्रदेश की सहकारिता को नये रूप में जनसामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सशक्त माध्यम बनाने के लिये नवाचार के विभिन्न क्षेत्रो यथा पर्यटन, परिवहन, भण्डारण, रहवासी, जैविक कृषि, सेवाप्रदाता, उद्यानिकी, संघ, सुरक्षा सहकारी सेवाएं, गणवेश निर्माण, खनिज सहकारी संघ, श्रम ठेका निर्माण समितियां/संघ, पुष्प उत्पादन एवं कम्प्यूटर संधारण समितियां शामिल की गयी है, जिनके संचालन से सहकारिता को नवाचार में नयी गति प्राप्त होगी।

ई–को.आपरेटिव्ह पोर्टल

प्रदेश के 39,000 सहकारी संस्थाओं की समग्र जानकारी युक्त ई–कॉआपरेटिव पोर्टल व मोबाइल एप्प के माध्यम से सहकारिता में प्रौद्योगिकी का विकास राष्ट्रीय स्तर के 4 सम्मानों से पुरूस्कृत। प्रदेश के कृषकों को पैक्स के माध्यम से वितरित हो रहे अल्पकालीन कृषिऋण खातों व उनके फसल बीमा आदि की ऑनलाईन जानकारी प्रदाय, पैक्स के साथ विभिन्न आर्थिक संव्यवहारों को एसएमएस के माध्यम से विभागीय पोर्टल ई–कोआरेटिव्सपर उपलब्ध कराई गई। इस संबंध में डेटाप्रविष्टि प्रारंभ हो चुकी है। ई–पोर्टल में 29 लाख से अधिक कृषकों का पंजीयन पूर्ण, 17 लाख से अधिक कृषकों के ऋण खातों की प्रविष्टि।

लगभग 659 करोड़ लागत की तीन सिंचाई परियोजनाएँ स्वीकृत

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में 658करोड़ 96लाख लागत की तीन सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं से 39 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित होगी। इसके अलावा बैठक में 911 करोड़ 62 लाख रूपये लागत की दो सिंचाई परियोजनाओं की निविदा स्वीकृत की गई। इनसे 57 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी।

बैठक में ढ़ीमरखेड़ा माइक्रो सिंचाई परियोजना पर विचार निर्वाचन आचार संहिता के कारण स्थगित रखा गया। बताया गया कि खरगोन जिले में 68 करोड़ 36 लाख रूपये की चोडी जामनिया उदवहन सिंचाई परियोजना से 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित होगी। खरगोन जिले में 123 करोड़ 69 लाख रूपये की बलकवाड़ा उदवहन सिंचाई परियोजना से 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। खंडवा जिले में 466करोड़ 91 लाख रूपये की जावर उदवहन सिंचाई परियोजना से 26हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसी तरह खण्डवा जिले की 567 करोड़ 10 लाख लागत की छैगांवमाखन उदवहन माइक्रो सिंचाई परियोजना से 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। खरगोन जिले की 374 करोड़ 63 लाख रूपये लागत की बिस्टान उदवहन सिंचाई योजना से 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में निर्देश दिये कि सिंचाई परियोजनाओं के काम समय-सीमा में पूरे किये जायें।

बैठक में वन मंत्री डॉ गौरीशंकर शेजवार, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लालसिंह आर्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राकेश साहनी, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री बी.पी.सिंह, अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास श्री रजनीश वैश उपस्थित थे।

एक एकड़ से ढ़ाई एकड़ तक के भू-धारकों को मिलेगा-कुंआ, खेत तालाब

भोपाल। महात्मा गांधी नरेगा की कपिलधारा उप योजना में एक एकड़ से ढ़ाई एकड़ तक के भू-धारकों को **कुंआ-खेत तालाब** का संयुक्त लाभ मिलेगा। अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया ने सभी जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं।

हितग्राहियों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। इसमें पहली प्राथमिकता विधवा एवं परित्यक्ता महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति को तथा इसके बाद अन्य भू-धारकों को योजना का लाभ मिलेगा। जिन भू-धारकों को सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। खेत तालाब 400 घनमीटर जल-संरक्षण क्षमता का बनाना होगा। खेत तालाब और कुंआ बनाने के समय निकलने वाली मिट्टी का उपयोग खेत को समतल बनाने तथा मेढ़ बंधान में किया जायेगा। कूप निर्माण गोलाकार होगा जिसका व्यास 5 मीटर और गहराई 12 मीटर होगी। इसके अलावा लागत सीमा के भीतर अधिक गहराई कराने के लिए हितग्राही स्वतंत्र होगा। हितग्राही कुंआ बनाने के लिए सामग्री मद से मशीन से बोरिंग करा सकता है। कुंआ खुदाई के बाद कुंआ बंधान के लिए आधार कठोर पत्थर पर आरसीसी की बीम डालकर निर्माण करना होगा। कुंए की मुंडेर की चौड़ाई 30 से 40 सेमी तथा ऊँचाई 75 सेमी होना जरूरी होगा। कुंए के बाहरी हिस्से में न्यूनतम एक मीटर की जगत बनाना होगी।

कपिलधारा कूप के साथ खेत तालाब का भी लाभ हितग्राही को मिलेगा। खेत के उपरी हिस्से में खेत तालाब तथा निचले हिस्से में कुंए का निर्माण करवाया जायेगा, जिससे खेत तालाब से प्रवाहित जल कुंए में इकट्ठा हो सके। खेत तालाब से कुंए तक पानी के प्रवाह के बीच में पाइप डालना होगा तथा कुएं के समीप उसे बोल्डर, रेत से फिल्टर करना होगा। इसके लिए कार्य-स्थल का चयन हितग्राही की पसंद से होगा। इसमें भू- जलविद की भी सहायता ली जा सकेगी। कूप तथा खेत तालाब निर्माण की एजेंसी हितग्राही भी हो सकता है। यदि हितग्राही आजीविका मिशन के समूह का हितग्राही है, तो वह समूह की एजेंसी होगा। अन्य परिस्थितियों में ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी होगी।

कुंआ, खेत तालाब की लागत 2 लाख 30 हजार रूपये निर्धारित की गयी है। इसमें एक लाख 15 हजार मजदूरी के लिए और 1 लाख 15 हजार सामग्री पर खर्च किए जा सकेंगें। कपिलधारा कूप में हितग्राही मेट का कार्य करेगा। मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल जारी होंगे तथा सामग्री की राशि हितग्राही के खाते में सीधे जमा करवायी जायेगी।

दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर आया

भोपाल। मध्यप्रदेश ने दुग्ध उत्पादन में आशातीत उन्नति करते हुए देश में 20वें स्थान से चौथे स्थान पर अपनी जगह बना ली है। अब शीर्ष स्थान पाने के लिए प्रयास जारी हैं जिसमें एक माह का **गोकुल महोत्सव** मनाया जा रहा है। महोत्सव में हर गाँव में पशुपालकों और पशुओं के लिए शिविर लगाए जायेंगे। प्रदेश में 3 करोड़ 61 लाख से अधिक का पशुधन है। पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने यह बात खरगोन जिले के सनावद में गोवर्द्धन पूजा पर राज्य-स्तरीय गोकुल महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कही।

श्री आर्य ने कहा कि पशुपालकों को विभागीय योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने में सहायता करने के लिये महोत्सव में ग्राम स्तर पर ही चिकित्सा, उपचार, बीमा आदि शिविर में ही उपलब्ध होंगे। श्री आर्य ने कहा कि प्रदेश को लगातार चौथी बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिलाने में अपरोक्ष रूप से पशुधन का भी योगदान है। श्री आर्य ने कहा कि पशुपालन से प्रदेश के हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है।

गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता - श्री रतन सिंह को प्रथम पुरस्कार

श्री अंतर सिंह आर्य ने गोकुल महोत्सव में वर्ष 2015-16में की गई पुरस्कार प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया। मांगलिया सांवेर के श्री रतन सिंह सोलंकी की साहीवाल नस्ल की गाय के 23.70 लीटर प्रतिदिन औसत दुग्ध उत्पादन के कारण पहले पुरस्कार के रूप में उन्हें दो लाख रुपये, प्रमाण-पत्र और ट्राफी दी गई। अलीराजपुर के श्री नरेन्द्र गुजराती को उनकी गिर नस्ल की गाय के औसतन 22.5 लीटर प्रतिदिन उत्पादन के लिए एक लाख रुपये और उज्जैन की श्रीमती कृष्णा बाई को गिर गाय के लिए तृतीय पुरस्कार के लिये 50 हजार रुपये और प्रमाण-पत्र दिया गया। सांत्वना पुरस्कार 7 गौ-पालकों को मिला।

खेतों में अवशेष नहीं जलायें

भोपाल। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने किसानो को सलाह दी है कि धान फसल कटाई के बाद बचे अवशेष को खेतों मे जलाकर नष्ट नहीं किया जाये । बल्कि खेत जोतने के बाद उसको वहीं पलटकर दबा दिया जाये। उन्होंने कहा कि खेतों मे अवशेष के जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति और उत्पादन के लिये सहयोगी जीवाणु नष्ट हो जाते है। उन्होने सभी वरिष्ठ कृषि विस्तार और विकास अधिकारियो को निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्र के किसानों को खेतों मे अवशेष नहीं जलाने की सलाह दें ।

किसानों को मिलेगा सब्जीवर्गीय कृषि फसल बीमा का लाभ

भोपाल। मौसम आधारित फसल बीमा हेतु जिले के लिये रबी मौसम में सब्जीवर्गीय प्याज, लहसुन, धनिया, आलू, हरी मटर, आम इत्यादि उद्यानिकी फसलों का चयन किया गया है। सब्जीवर्गीय रबी फसल-टमाटर बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी के लिये बीमित राशि 82 हजार 30 रूपये का 5 प्रतिशत राशि यानी 4 हजार 101 रूपये प्रीमीयम राशि कृषक द्वारा देय होगी। इसी प्रकार लहसुन की बीमित राशि 63 हजार 100 रूपये के लिये कृषक द्वारा 3 हजार 155 रूपये, धनिया की लिये बीमित राशि 34 हजार 125 रूपये हेतु प्रीमीयम राशि 1 हजार 706रूपये, आलू फसल के लिये बीमित राशि 63 हजार 50 रूपये एवं एक लाख 5 हजार रुपये हेतु क्रमश 3 हजार 152 रूपये एवं 5 हजार 250 रूपये प्रीमीयम राशि, हरी मटर की बीमित राशि 34 हजार 125 रूपये के लिये एक हजार 706 रूपये प्रीमीयम राशि एवं आम के लिये बीमित राशि 68 हजार 315 रूपये हेतु प्रीमियम राशि रूपये 3 हजार 416 रूपये कृषक द्वारा देय होगी, शेष बची हुई प्रीमियम राशि को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा आधे-आधे के अनुपात में अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है।

मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना

प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) से खाद बीज के लिये दिये जाने वाले कर्ज पर 10 प्रतिशत अनुदान दिये जाने संबंधी की गयी घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना प्रारंभ की गई है।

क्या है योजना

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा रबी सीजन 2015–16 से अल्पावधि फसल ऋण में शामिल खाद एवं बीज के लिये दिये गये/जाने वाले वस्तु ऋण की राशि पर 10 प्रतिशत, अधिकतम रू. 10,000/– प्रति कृषक प्रतिवर्ष अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जावेगा।

मुख्य उद्देश्य

कृषि की लागत को कम करते हुये कृषि उत्पादन के साथ कृषकों की आय में वृद्धि करना एवं कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बनाने की दिशा में कृषक को सहायता प्रदान करना।

महत्वपूर्ण बाते

- योजना में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी सदस्य कृषक शामिल होंगे।
- योजना का लाभ उन्हीं कृषकों को मिलेगा, जिनके द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से लिये गये अल्पावधि ऋण में से नगद ऋण की शत–प्रतिशत एवं वस्तु ऋण की 90 प्रतिशत राशि की अदायगी ड्यू डेट तक की जावेगी।
- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पूर्व डिफाल्टर सदस्य कृषक ऋण चुकता कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा विपणन संघ के माध्यम से क्रय किये गये खाद और बीज सहकारी संघ या संबद्ध बीज उत्पादक सहकारी समितियों/मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फर्म विकास निगम/नेशनल सीड कार्पोरेशन से क्रय किये गये बीज के लिये दिया गया ऋण वस्तु ऋण के रूप में मान्य होंगे।
- योजना के अंतर्गत प्रति ऋणी कृषक सदस्य प्रतिवर्ष सहायता अनुदान की सीमा वस्तु ऋण के 10 प्रतिशत के मान से अधिकतम रू. 10,000/– होगी।
- यह योजना उद्यानिकी सहित सभी फसलों जिनके लिये अल्पावधि फसल ऋण दिया जाता हैं, के वस्तु ऋण (खाद एवं बीज) भाग पर लागू होगी।
- कृषि विभाग तथा मार्कफेड द्वारा जैविक खाद के Standardization होने के उपरान्त भविष्य में इस प्रकार की मार्कफेड द्वारा जैविक खाद पर देय होगा।
- यह योजना रबी सीजन वर्ष 2015–16 हेतु दिये गये वस्तु ऋण से प्रारंभ होगी।
- ''अग्रिम उर्वरक भंडारण योजना'' के अन्तर्गत कृषकों द्वारा खरीफ सीजन हेतु अग्रिम में उठाये गये खाद हेतु लिये गये ऋण को वर्ष के प्रारंभ छः माह के वस्तु ऋण में शामिल कर सहायता अनुदान की गणना होगी। इस प्रकार रबी सीजन हेतु अग्रिम में उठाये गये खाद हेतु लिये गये ऋण को वर्ष के द्वितीय छः माह के वस्तु ऋण में शामिल कर सहायता अनुदान की गणना होगी।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।